लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *177 30 जुलाई, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र क्षेत्र में मंदी

*177. श्री डी.के. सुरेश:

श्रीमती सुमलता अम्बरीश:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) भारत में तथा विश्व के अन्य हिस्सों में मंदी से देश में वस्त्र क्षेत्र पर कितना प्रभाव पड़ा है;
- (ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश से चीन को किए जाने वाले वस्त्रों के निर्यात में अत्यधिक कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने देश में कपास उत्पादक किसानों को संरक्षण प्रदान करने के लिए कोई उपाय किए हैं:
- (घ) क्या मंत्रालय का कोई प्रस्ताव चीन को किए जाने वाले वस्त्र निर्यात में कमी आने के दृष्टिगत इंडोनेशिया, वियतनाम, बंगलादेश और लैटिन अमरीकी देशों को वस्त्र उत्पादों का निर्यात करने का है;
- (ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर वस्त्र मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (च): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

<u>"वस्त्र क्षेत्र में मंदी" के संबंध में श्री डी.के. सुरेश और श्रीमती सुमलता अम्बरीश द्वारा दिनांक</u> 30.07.2021 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *177 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): कोविड-19 की वैश्विक महामारी के कारण सामाजिक सभा पर प्रतिबंध, श्रमिकों के पलायन, आपूर्ति श्रृंखला में बाधा के कारण वस्त्र क्षेत्र प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है जिससे मूल्य श्रृंखला में किसान से लेकर व्यापारी/निर्यातक तक सभी स्टेकहोल्डर प्रभावित हुए हैं। तथापि, स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हुआ है और उत्पादन तथा निर्यात में वृद्धि हुई है। साथ ही, कोविड महामारी ने अवसरों के नए द्वार भी खोले हैं। लगभग 7000 करोड़ रुपए की कीमत के उत्पादन के साथ एक नया उद्योग विकसित किया गया है जिसमें देशभर के 1100 से अधिक घरेलू विनिर्माता अब प्रतिदिन 4.5 लाख पीपीई बॉडी कवर ऑल का उत्पादन कर रहे हैं। भारत आत्मिनर्भर-स्वावलंबी बन गया है और दुनिया में पीपीई का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता भी बन गया है।

(ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान देश से चीन को वस्त्र निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है: (आंकडे मिलियन अमरीकी डॉलर में)

#	2018-19	2019-20	2020-21
चीन	2194.89	1138.73	1567.94

(ग): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने चालू कपास मौसम 2020-21 के लिए मिडियम स्टेपल वाली कपास के मामले में 260 रुपए प्रति क्विंटल और लंबी स्टेपल वाली कपास के मामले में 275 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि करके क्रमशः मिडियम स्टेपल वाली कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5515 रुपए प्रति क्विंटल और लंबी स्टेपल वाली कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5825 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया था। भारतीय कपास निगम लिमिटेड (सीसीआई) को कपास का मूल्य समर्थन अभियान चलाने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में पदनामित किया गया है।

कपास मौसम 2020-21 के दौरान (23.07.2021 तक) सीसीआई ने एमएसपी अभियान के अंतर्गत लगभग 91.893 लाख गांठ के बराबर बीज कपास की खरीद की है। इस प्रकार, देश के कपास किसानों को सीसीआई लिमिटेड जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों की उपस्थिति के कारण उनके उत्पाद का बेहतर विपणन सुनिश्चित किया जाता है।

दिनांक 01.10.2021 से शुरू होने वाले आगामी कपास मौसम 2021-22 के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने मिडियम स्टेपल वाली कपास के मामले में 211 रुपए प्रति क्विंटल और लंबी स्टेपल वाली कपास के मामले में 200 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि करके क्रमशः मिडियम स्टेपल वाली कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5726 रुपए प्रति क्विंटल और लंबी स्टेपल वाली कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6025 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।

(घ) से (च): वस्त्र उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, सरकार विदेशी बाजारों में भारतीय उत्पादों को लागत प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए वस्त्र इकाईयों को वित्तीय प्रोत्साहन सिहत नीतिगत सहायता प्रदान करती है। भारत से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार शुल्क में रियायत, शुल्क छूट, इयूटी ड्रॉबैक, निर्यात संवर्धन पूंजी सामान (ईपीसीजी) योजना के अंतर्गत पूंजीगत सामानों का शुल्क मुक्त आयात, बाजार पहुंच हेतु पहल (एमएआई) योजना के अंतर्गत बाजार पहुंच हेतु सहायता, प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता, समर्थ के अंतर्गत कौशल विकास, एसआईटीपी के अंतर्गत अवसंरचना विकास आदि जैसी सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, वस्त्र उद्योग को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रित उत्पाद प्रोत्साहन योजना और मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र तथा अपैरल पार्क योजना भी तैयार की जा रही है।

सरकार ने अपैरल/गारमेंटस तथा मेड-अप्स के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय करों तथा उपकरों की छूट (आरओएससीटीएल) को 31 मार्च, 2024 तक जारी रखने के लिए भी अपना अनुमोदन दे दिया है। अन्य वस्त्र उत्पाद जो आरओएससीटीएल के अंतर्गत नहीं आते हैं, वे भी अन्य उत्पादों सहित निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (आरओडीटीईपी) के अंतर्गत लाभ, यदि कोई हों, उठाने के पात्र होंगे। आरओएससीटीएल और आरओडीटीईपी योजना के अंतर्गत शुल्क और कर की छूट हमारे उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लागत प्रभावी बनाएंगे।
